न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लुणी, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री पुखराज कांसोटिया RAS

राजस्व अपील संख्या – 15/2019

अपीलाण्टः–

श्रीमती सुआ देवी पुत्री श्री मंगलाराम जी पत्नी श्री शिवलाल जाति माली निवासी मसुरिया जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेन्टसः–

01.घमण्डाराम पुत्र श्री मगलाराम जी के कायम मुकाम
1/1.आयूचका पत्नी श्री स्व0 श्री घमण्डाराम
1/2.सोहनराम पुत्र श्री स्व0 श्री घमण्डाराम
1/3.किशनाराम पुत्र श्री स्व0 श्री घमण्डाराम
1/4.जगदीश पुत्र श्री स्व0 श्री घमण्डाराम
1/5.लूणसिह पुत्र श्री स्व0 श्री घमण्डाराम
1/6.खेताराम पुत्र श्री स्व0 श्री घमण्डाराम
1/7.कानसिह पुत्र श्री स्व0 श्री घमण्डाराम
1/8.मजू पुत्री श्री स्व श्री घमण्डाराम
1/9.सुरता पुत्री श्री स्व0 श्री घमण्डाराम
1/10.कमला पुत्री श्री स्व0 श्री घमण्डाराम जातियान माली निवासीगण ग्राम सालावास तहसील लूणी जिला जोधपुर।
02.श्रीमती मकली पुत्री स्व0 श्री मंगलाराम माली पत्नी श्री प्रेमजी माली निवासी ग्राम गोलासनी तहसील व जिला जोधपुर।
03.श्रीमती चांदनी जैन पत्नी श्री मुकेश जैन जाति जैन निवासी ए 51 शास्त्रीनगर जोधपुर।
04.सरपंच ग्राम पंचायत सालावास पंचायत समिति लूणी जोधपुर।
05.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणी।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू –राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 2799, ग्राम सालावास तहसील– लुणी, जोधपुर द्वारा ग्राम पंचायत सालावास तहसील लूणी द्वारा दिनांक 20.05.2011 को प्रस्ताव संख्या :– 7 द्वारा पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. अपीलांट की ओर से अधिवक्ता – श्री हरिसिह कच्छवाह सचिन दवे उपस्थित।
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की और से अधिवक्ताः– श्री हनुमान प्रजापति उपस्थित
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/9 की ओर से अधिवक्त :– श्री प्रेम कुमार देवडा उपस्थित

:: आदेश :: दिनांक : 4/4/2024

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत विरूद्ध नामांतरकरण संख्या 2799 दिनांक 20.05.2021 गाव सालावास तहसील लूणी जोधपुर के ग्राम पचायत सावालास ,द्वारा पारित नामान्तकरण के विरूद्व यह अपील पेश की गई जिसके अपील मे वर्णित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है। कि अपीलाट के पिता श्री मंगलाराम जी खातेदारी कि कृषि भूमि वाके ग्राम सालावास के खसरा नम्बर 47 रकबा 50 बीधा 20 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 56 रकबा 50 बीधा 17 बिस्वा कुल खसरा 2 रकबा 101 बीधा 07 बिस्वा कृषि भूमि आई हुई है जो जायदाद पैतृक जादाद है जिसमे मंगलाराम जी के देहात के बाद अपीलाट तथा रेस्पोडेन्ट का नाम भी नामान्तरकण मे दर्ज किया जाना चाहिए उक्त वादग्रस्त कृषि भूमि मे अपीलाट के भाई का नाम दर्ज किया गया जिसके कारण अपीलाट के द्वारा एक वाद घोषणा हेतू श्रीमान जी के न्यायालय मे ही पेश किया गया जिसके वाद मे दिनांक 07.04.2011 को स्थगन आदेश पारित किया गया तथा तहसीलदार लूणी को पक्षकार मुकदमा बनाया गया है इसके बावजूद कि जायदाद का विवाद श्रीमान जी के न्यायालय मे विचाराधीन है तथा प्रकरण मे स्थगन आदेश जारी किया गया है इसके बावजूद भी जायदाद जो विवादीत है का नामान्तकरण रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के नाम से भरा गया जो कि गलत है क्योकि जायदाद विवादीत होने के कारण पंचायत को नामान्तकरण भरने का कोई अधिकारी ही प्राप्त नही था तथा नामान्तकरण तहसीलदार लूणी द्वारा भरा जाना चाहिए था लेकिन ऐसा न किया जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकृत किया गया जो कि गलत है।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

अपीलाट भी मंगलाराम जी के प्रथम श्रेणी कि वारिसान है तथा ग्राम पंचायत को उक्त तथ्य की जानकारी होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा अपीलांट का राम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज नही किया गया तथा जिसके लिए वाद पत्र 30/2011 बअनवान सुआ देवी बनाम घमण्डाराम अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी लूणी के समक्ष पेश किया गया जिसके कारण जायदाद विवादीत होने के कारण उक्त विवादीत जायदाद का नामातरण स्वीकृत करने का अधिकारी केवल मात्र तहसीलदार लूणी को प्राप्त था इसके बावजूद भी ग्राम पंचायत रेस्पोडेण्ट के साथ मिलीभगत करके अपीलाधीन नामान्तकरण स्वीकृत करवाया है जो कि मात्र इसी आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलांट द्वारा अपील नामान्तरकरण संख्या 2799 दिनांक 20.05.2011 को प्रस्ताव संख्या 7 द्वारा संरपच ग्राम पंचायत सालावास द्वारा स्वीकृत किया है उसे नामान्तरकरण को निरस्त किये जाने हेतु यह अपील अपीलांटस की और से इस न्यायालय में पेश की गई।

अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट को समन जारी किये गये जिस पर रेस्पोडेण्ट संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालतानामा पेश किया गया रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 1/9 की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालतानामा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया।

अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे कथन किया गया कि गाव सालावास के नामान्तरकरण संख्या 2799 दिनाक 20.05.2011 को प्रस्ताव संख्या 7 द्वारा सरपंख ग्राम पचायत सालावास द्वार स्वीकृत जारी नामान्तरकरण को खारिज किया जावे एव स्व0 श्री मंगलाराम के सभी वारिसान का नाम दर्ज किया जाने का निवेदन अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस की गई एव ग्राम पंचायत द्वारा भरा गया नामान्तरकरण संख्या 2799 दिनाक 25.05.2011 को खारिज किया जाने का निवेदन किया गया।

रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे कथन किया गया कि अपीलान्ट द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट को परेशान करने की नियत से उपरोक्त अपील प्रस्तुत की है जबकि विवादग्रस्त भूमि मे अपीलान्ट का कोई हक हिस्सा नहीं है और न ही किसी रूप मे अपीलान्ट का कब्जा है। विवादग्रस्त भूमि कभी भी किसी रूप मे अपीलान्ट के पिता मंगलाराम के खातेदारी की नहीं है। और भूमि वक्त सैटलमेन्ट से ही घमण्डाराम के खातेदारी की आवंटन सुदा कृषि भूमि है इस बाबत अपीलान्ट द्वारा एक नियमित वाद सुवादेवी बनाम घमण्डाराम प्रस्तुत किया था जिसमे उपरोक्त भूमि बाबत खातेदारी घोषणा की इस्तदुआ चाही थी। और अपीलान्ट का उपरोक्त घोषणा का वाद मेरिट पर निर्णित करते हुए खारिज कर दिया। और विवादग्रस्त भूमि मे अपीलान्ट का कोई हक हिस्सा नहीं माना, जो कि स्वीकृति स्थिति रही है ऐसी स्थिति मे जब नियमित वाद द्वारा विवादित भूमि मे अपीलान्ट का कोई हक हिस्सा सक्षम न्यायालय द्वारा नहीं माना गया है तो नामान्तरकरण जैसी वित्तीय कार्यवाही मे अपीलान्ट का नाम दर्ज करना कानूनी रूप से गलत होने के कारण से अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है। साथ ही अपीलाधीन नामान्तरकरण किसी भी रूप मे विवादित श्रेणी का नामान्तरकरण नहीं था, और ग्राम पंचायत के समक्ष पंजीबद्ध दस्तावेज था जिसके आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किया गया है जो कानूनी रूप से अविभाजित नामान्तरकरण की श्रेणी मे आता है। इन परिस्थितियो मे अपीलान्ट की अपील खारिज किये जाने योग्य है। पत्रावली के ध्यान पूर्वक अवलोकन से यह स्वीकृत स्थिति बनती है कि जिस भूमि बाबत अपीलान्ट द्वारा नामान्तरकरण की अपील प्रस्तुत की है उसी भूमि बाबत अपीलान्ट द्वारा खातेदारी की घोषणा का वाद बअनवान सुवादेवी बनाम घमण्डाराम सक्षम न्यायालय द्वारा मेरिट पर खारिज किया जा चूका है और जिसमे अपीलान्ट का कोई हक हिस्सा न मानते हुए वाद अस्वीकार किया गया। जिसे स्वंय अपीलान्ट ने कोई खण्डन नहीं किया ऐसी स्थिति मे जब सक्षम न्यायालय द्वारा नियमित वाद का अन्तिम रूप से निस्तारण हो चूका है तो नामान्तरकरण की कार्यवाही मे उसी भूमि बाबत राजस्व रेकार्ड मे परिवर्तन करना कानूनी रूप से गलत हो जाता है। इन परिस्थितियो मे अपीलान्ट की अपील होपलेस माने जाने योग्य है। साथ ही अपीलान्ट ने नामान्तरकरण को विवादित बताते हुए ग्राम पंचायत के क्षैत्राधिकार बाबत आपति की गई जिस पर पत्रावली मे मौजूद अपीलाधीन नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया जिसमे अपीलाधीन नामान्तरकरण उप पंजीयक प्रथम जोधपुर मे पंजीबद्ध विकय विलेख के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किया गया और जिसे ग्राम पंचायत की बैठक मे प्रस्ताव संख्या 7 द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। जिससे स्पष्ट है कि नामान्तरकरण बाबत

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

किसी प्रकार का विवाद होने का साक्ष्य मौजूद नही है और प्रथम दृष्टया नामान्तरकरण अविवादित श्रेणी का प्रतीत होता है ऐसी स्थिति मे ऐसे नामान्तरकरण बाबत ग्राम पंचायत को पूर्ण क्षैत्राधिकार प्राप्त है। इन परिस्थितियो मे अपीलान्ट का यह कथन किसी भी रूप मे मानने योग्य नहीं है कि नामान्तरकरण विवादित था। और यदि ऐसी स्थिति मे नामान्तरकरण विवादित होता तो निश्चित ही ग्राम पंचायत द्वारा आपति करता का कोई पक्ष रखा जाता और उसे निर्णित करते हुए नामान्तरकरण स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता। परन्तु ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है जिससे नामान्तरकरण को विवादित श्रेणी का मान लिया जावे। इन परिस्थितियो मे अपीलान्ट का उपरोक्त उजर मानने योग्य नहीं है। साथ ही जिस बेचाननामा के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण दर्ज किया गया है उस बेचाननामा को किसी भी सक्षम न्यायालय मे अपीलान्ट द्वारा चुनौती नहीं दी गई है और न ही उसे अवैध शुन्य या निरस्त करवाने की कोई कार्यवाही की गई है और न ही इस बाबत अपीलान्ट का कोई कथन रहा है। ऐसी स्थिति मे न्याय का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि जिस दस्तावेज व आदेश के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है वह आदेश या दस्तावेज जब तक किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध शुन्य या निरस्त नहीं किया जाता तब तक वह दस्तावेज प्रभावी माना जावेगा और ऐसे दस्तावेज के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण मे किसी प्रकार का आदेश पारित करना गैर कानूनी हो जाता है। इन परिस्थितियो मे अपीलान्ट का कथन गलत हो जाता है और अपील स्वीकार करना उचित प्रतीत नहीं होता। और जहॉ तक अपीलान्ट के द्वारा जांच एवम् कब्जे बाबत उजरात है इसमे अपीलाधीन नामान्तरकरण जिस दस्तावेज के आधार पर स्वीकृत किया है और वह दस्तावेज रजिस्टर्ड दस्तावेज है जिसमे कब्जे का विक्रेता द्वारा केता को सुपुर्द करना अंकित किया हुआ है। ऐसी स्थिति मे मात्र अपीलान्ट का कब्जा होने का कथन करना मान्य नहीं होता। ऐसी स्थिति मे अपीलाण्ट की अपील खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

बहस पर मनन किया गया पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया जिस यह प्रतीत होता है कि इन तमाम परिस्थितियो मे अपीलान्ट की अपील किसी रूप मे चलने योग्य नहीं है तथा अपीलान्ट द्वारा जब सक्षम न्यायालय मे घोषणा का वाद प्रस्तुत कर दिया और जिसका निस्तारण भी किया जा चूका है ऐसी स्थिति मे नियमित वाद के निस्तारण हो जाने के कारण उसी भूमि बाबत नामान्तरकरण की कार्यवाही मे अनुतोष प्राप्त करना सर्वथा गलत माना जाता है तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण का अवलोकन करने से भी स्पष्ट है कि अपील मे वर्णित भूमि सोहनलाल वगैरा के नाम से दर्ज है और अपीलाधीन नामान्तरकरण द्वारा भूमि रेस्पोडेन्ट चान्दनी जैन के नाम से दर्ज की गई ऐसी स्थिति मे उपरोक्त नामान्तरकरण से अपीलान्ट किसी भी रूप मे प्रभावित नहीं होती है। क्योकि नामान्तरकरण मे वर्णित भूमि मे अपीलान्ट का नाम ही दर्ज नहीं है इन परिस्थितियो मे अपीलान्ट की अपील होपलेस है और इससे अपीलान्ट को कोई अनुतोष प्राप्त नहीं होता है। उपरोक्त तमाम विश्लेषण से अपीलान्ट की अपील कानूनी प्रावधानो के अनुकूल नहीं होने से स्वीकार की जाना उचित प्रतीत नहीं होती है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जाती है। तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 2799 दिनांक 20.05.2011 ग्राम पंचायत सालावास को कायम रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

(पुखराज कांसोटिया)RAS
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
लुणी, जिला जोधपुर।

निर्णय आज दिनांक 04/04/2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
लुणी, जिला जोधपुर।

Scanned by CamScanner